

## अध्याय IV: आयकर और धन कर

### 4.1 प्रस्तावना

4.1.1 इस अध्याय में 131 आयकर और छः संपदा कर मामलों पर चर्चा की गई है जिनमें से ₹ 314.73 करोड़ के कम प्रभार वाले 121 मामले और ₹ 21.26 करोड़ के अधिक प्रभार के 16 मामले शामिल हैं जो अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 के दौरान मंत्रालय को जारी किए गए थे। गलत निर्धारण के इन मामलों से आयकर विभाग में प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है।

4.1.2 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्नवत वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

4.1.3 आईटीडी ने ₹ 215.01 करोड़ के कर प्रभाव वाले 90 मामलों में उपचारी कार्यवाही पूर्ण की है। मंत्रालय ने ₹ 7.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों को स्वीकार नहीं करते हुए ₹ 48.89 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) के 47 मामलों पर अपनी स्वीकृति दी है।

इस प्रतिवेदन की तालिका 2.9 (पैरा 2.4.4) गलतियों और उनके कर प्रभाव की व्यापक श्रेणियों का विवरण दर्शाती है (परिशिष्ट 2.3 देखें)।

### 4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद एओज़ ने निर्धारणों में गलतियाँ की। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में अनवरत कमज़ोरी को दर्शाते हैं जिसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

तालिका 4.1 त्रुटियों की उपश्रेणियों को दर्शाती है जिसने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण				(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	मामले	टीई	राज्य	
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	26	75.89	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडू	
ख. कर, अधिभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	06	11.92	दिल्ली, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब	
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	37	130.12	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू, यूटी-चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	
<b>कुल</b>	<b>69</b>	<b>217.93</b>		

#### 4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने ऐसे चार निदर्शी मामलें नीचे दिये हैं:

*अधिनियम में प्रावधान है कि एओ को निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करना चाहिए तथा कर या प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए, जैसा भी मामला हो।*

**4.2.2.1** सीआईटी छूट मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, एओ ने ₹ 20.53 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2010-11 के लिए व्यक्तियों के एक संघ (ट्रस्ट), **मुम्बई क्रिकेट संघ** का निर्धारण पूर्ण किया था। एओ ने निर्धारिती को धारा 12ए के तहत कोई वैध पंजीकरण नहीं रखने वाला एक गैर-धर्मार्थ संगठन माना था और इसलिए निर्धारिती की सम्पूर्ण आय पर कर लगाने की आवश्यकता थी। तथापि, निर्धारित आय की गणना के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त ₹ 39.67 करोड़ की इन्फ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी राशि वापस नहीं जोड़ी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 16.67 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 39.67 की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 147 के तहत उपचारी कार्यवाही की (जनवरी 2017)।

**4.2.2.2** प्र. सीआईटी-1 भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में एओ ने जैसा कि निर्धारिती द्वारा अपनी विवरणित आय में घोषित किया गया था 'शून्य' आय पर जनवरी 2016 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2013-14 के लिए एक सहकारी सोसाइटी **मेसर्स नीलांचल ग्राम्य बैंक** के निर्धारण को पूर्ण किया। निर्धारिती ने 'प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी' और 'अन्य व्यय' क्रमशः ₹ 0.6 करोड़ और ₹ 4.07 करोड़ का दावा किया, तथापि आय की विवरणी में दोनों व्ययों के कुल जोड़ की गणना के दौरान ₹ 4.13 करोड़ के बजाय ₹ 34.62 करोड़ के

कुल आंकड़ों को अंगीकृत किया। परिणामस्वरूप, कर पूर्व लाभ ₹ 30.49 करोड़ के बजाय 'शून्य' पर पहुँच गया जिस पर निर्धारिती की कर योग्य आय की गणना के दौरान एओ द्वारा भी विचार किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 12.61 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण सहित ₹ 30.49 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 147 के तहत उपचारी कार्यवाई प्रारंभ की (मार्च 2017)।

**4.2.2.3** सीआईटी सेन्ट्रल-1, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडू में, एओ ने ₹ 10.77 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2012-13 के लिए एक ट्रस्ट **मेसर्स जया एज्यूकेशनल ट्रस्ट** का निर्धारण पूर्ण किया। आय एवं व्यय लेखे में निर्धारिती ने ₹ 68.06 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ दर्शायी और 'व्यय पर अधिक आय' ₹ 13.92 निकाली। तथापि निर्धारिती की कर योग्य आय की गणना के दौरान, एओ ने निवल आय को आय एवं व्यय लेखे के अनुसार ₹ 13.92 करोड़ के बजाय 'शून्य' पर लिया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 4.30 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण सहित ₹ 13.92 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी का उत्तर अपेक्षित (अक्टूबर 2017) था।

**4.2.2.4** प्र.सीआईटी -1 सूरत प्रभार, गुजरात में, एओ ने ₹ 9.63 करोड़ की आय पर मार्च में संवीक्षा के बाद नि.व. 2013-14 के लिए एक व्यक्ति **अनिल सत्यनारायण रूंगटा** का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारिती की कर योग्य आय की गणना के दौरान निर्धारण आय को एओ द्वारा ₹ 9.63 करोड़ के सही आंकड़े के बजाय ₹ 5.06 करोड़ पर गलत ग्रहण किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.28 करोड़ के कर की परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 4.57 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी का उत्तर अपेक्षित था (अक्टूबर 2017)।

#### **4.2.3 कर, अधिभार आदि की दरों का गलत प्रयोग**

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिये हैं:

*आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) प्रावधान करती है कि संबंधित वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आय कर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित वित्त अधिनियम, यदि निवल आय एक करोड़ रुपये से अधिक हो, तो एक फर्म के मामले में दस प्रतिशत आयकर की दर पर उपकर की उद्ग्रहण का प्रावधान करता है।*

**4.2.3.1** प्र.सीआईटी (सी)-2 प्रभार, दिल्ली में, निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए फर्म **मेसर्स शिवा मिंट इंडस्ट्रीज** का निर्धारण मार्च 2016 में ₹ 159.67 करोड़

की आय और उस पर ₹ 47.90 के कर पर पूर्ण किया गया। आयकर गणना प्रपत्र में कर की गणना के दौरान, एओ ने आय कर के दस प्रतिशत की दर पर लागू अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 9.08 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत त्रुटि में संशोधन किया (मार्च 2017)।

**4.2.3.2** सीआईटी-पणजी प्रभार, गोवा में एओ ने ₹ 5.09 करोड़ की आय पर फरवरी 2016 में नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारिती मेसर्स वासुदेव डेम्पो फैमिली प्रा. ट्रस्ट का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारिती की कर देयता की गणना के दौरान एओ ने 30 प्रतिशत की बजाय 15 प्रतिशत पर ऋण निधि की बिक्री पर लघु अवधि पूंजीगत अभिलाभों पर कर की गणना की, यद्यपि निर्धारिती ने अपनी आय की विवरणी/आय एवं कर की गणना विवरण में 30 प्रतिशत की दर प्रस्तावित की थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 0.67 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया (जनवरी 2017)।

**4.2.3.3** प्र.सीआईटी (सेन्ट्रल) लुधियाना प्रभार पंजाब, में एओ ने ₹ 3.99 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत नि.व. 2009-10 के लिए एक व्यक्ति सुमन अग्रवाल का निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारिती की कर देयता की गणना के दौरान एओ ने अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया जबकि वह 10 प्रतिशत की दर पर उदग्राह्य था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 23.13 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया (जुलाई 2016)।

#### 4.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी(3) प्रावधान करती है कि, जहाँ, धारा 153ए के तहत पुनर्निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप जिस राशि पर ब्याज देय था उसमें वृद्धि हुई है, निर्धारिती हर महीने या एक महीने के अंश के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा से, ऐसे वित्तीय वर्ष के उत्तरगामी अप्रैल के पहले दिन और पुनर्निर्धारण के समाप्ति तिथि तक, जिस तक कुल राशि पर कर पुनर्मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण आय कर धारा 143 के उपधारा (1) के तहत अथवा नियमित आकलन के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर से अधिक हैं।

**4.2.4.1** प्र. सीआईटी-सी-2 प्रभार दिल्ली, में, एओ ने नि.व. 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए मार्च 2016 में धारा 153ए के तहत क्रमशः ₹ 238.64 करोड़, ₹ 338.06 करोड़ और ₹ 346.31 करोड़ की आय निर्धारित

करते हुए एक फर्म **मेसर्स अम्बिका इंटरनेशनल** का निर्धारण पूर्ण किया। उक्त निर्धारण वर्षों में धारा 234बी(3) के तहत ब्याज की गणना के दौरान एओ ने ₹ 77.87 करोड़<sup>82</sup> ₹ 96.52 करोड़<sup>83</sup> और ₹ 76.89<sup>84</sup> करोड़ के बजाय क्रमशः ₹ 32.45 करोड़ ₹ 74.69 करोड़ और ₹ 63.00 करोड़ पर ब्याज उद्ग्रहीत किया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 81.14 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत त्रुटियों में सुधार किया (मार्च 2017)।

**4.2.4.2 प्र.सीआईटी (सेन्ट्रल) गुड़गाँव प्रभार हरियाणा में, एओ ने ₹ 43.29 करोड़ की आय निर्धारित कर मार्च 2016 में धाराओं 143(3) और 144 के साथ पठित धारा 153ए(1) (बी) के तहत नि.व. 2009-10 से 2013-14 के लिए एक व्यक्ति **जितेन्द्र सिंह** का निर्धारण पूर्ण किया। नि.व. 2009-10 से 2013-14 के लिए कर देयता की गणना के दौरान, एओ ने गलत ढंग से ₹ 7.74 करोड़ की ब्याज की उद्ग्रहण योग्य राशि के बजाय ₹ 5.78 करोड़ पर धारा 234 बी के तहत ब्याज प्रभारित किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ के ब्याज की कम उद्ग्रहण हुई। आईटीडी ने धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया (सितम्बर 2016)।**

*आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए में प्रावधान है कि यदि आय की रिटर्न नियत तिथि के बाद प्रस्तुत की जाती है, निर्धारित आय की रिटर्न भरने की नियत तिथि और रिटर्न प्रस्तुत करने की समाप्ति तिथि को देखते हुए तुरंत बाद की तिथि पर एक प्रतिशत प्रति मास की दर पर ब्याज अदा करने के लिए दायी है।*

**4.2.4.3 प्र. सीआईटी- केंद्रीय, कानपुर प्रभार में, नि.अ. ने क्रमशः ₹ 35.51 करोड़, ₹ 38.41 करोड़ और ₹ 7.83 करोड़ आय को मार्च 2016 में धारा 144/153 सी के अंतर्गत नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए एक व्यक्ति **मनोज कुमार** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारित की कर देयता की संगणना करते समय, इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारित ने न तो आय कर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) के अंतर्गत न ही धारा 153सी के अंतर्गत नोटिस पर प्रतिक्रिया स्वरूप आय की रिटर्न फाईल नहीं की थी। नि.अ. ने धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 9.26 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। आईटीडी का उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2017)।**

82 96 महीनों के लिए

83 84 महीनों के लिए

84 72 महीनों के लिए

### 4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम अध्याय IV-ए के तहत कुल आय की संगणना करने में निर्धारिती तथा इससे प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए रियायत/छूट/कटौती को अनुमत करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने अनियमित रूप से उन लाभार्थियों जो इसके हकदार नहीं हैं के लिए कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ का विस्तार किया है। ये मामले आय कर विभाग की ओर से कर प्रशासन में कर रियायतों/छूटों/कटौतियों में कमी दर्शाते हैं, जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। तालिका 4.2 उन श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन पर प्रभाव डाला है।

तालिका 4.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के तहत गलती की उप-श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	07	4.17	गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और के.शा.प्र. चंडीगढ़
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटी/एओपीज को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	09	17.92	बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और उत्तराखंड
ग. कारोबार व्यय की गलत अनुमति	10	31.69	असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, के.शा.प्र. चंडीगढ़, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
घ. मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताएं	09	24.41	बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान
<b>कुल</b>	<b>35</b>	<b>78.19</b>	

#### 4.3.2 व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 54एफ में प्रावधान है कि इस धारा के अंतर्गत छूट के दावे के लिए निर्धारिती को मूल परिसंपत्ति के स्थानांतरण की तिथि तक नई परिसंपत्ति से अलग एक से अधिक आवासीय घर स्वामित्व में नहीं रखने चाहिए।

4.3.2.1 सीआईटी-III, जयपुर प्रभार राजस्थान में, नि.अ. ने ₹ 18.22 लाख की आय पर फरवरी 2016 में नि.व. 2013-14 के लिए एक व्यक्ति **भारत मोहन रातुरी** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ₹ एक करोड़ की बिक्री पर भूमि के प्लॉट की बिक्री पर ₹ 94.39 लाख के दीर्घावधि पूँजीगत लाभ

(एलटीसीजी) अर्जित किया। ₹ एक करोड़ के अन्य घर संपत्ति में एलटीसीजी के निवेश होने पर, निर्धारिती ने छूट का दावा किया और उक्त को अनुमत कर दिया गया था। यद्यपि, नये घर के अतिरिक्त, निर्धारिती के पास स्थानांतरण की तिथि तक दो आवासीय घर स्वामित्व में थे। इसलिए, निर्धारिती पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं था और ₹ 94.39 लाख के एलटीसीजी पर कर प्रभारित किया जाना था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 26.25 लाख के कर प्रभाव की कम गणना की गई।

*आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54 बी में प्रावधान है कि किसी कृषि भूमि जिसे कृषि उद्देश्यों के लिए स्थानांतरण की तिथि से तुरंत पहले से कम से कम दो वर्षों के लिए निर्धारिती या उसके माता-पिता द्वारा प्रयोग किया गया है, के स्थानांतरण से किसी व्यक्ति निर्धारिती को भी प्राप्त कोई पूंजीगत लाभ उस लाभ तक छूट प्रदान की जाएगी जो पूंजीगत लाभ कृषि उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानांतरण की तिथि के बाद दो वर्षों की अवधि में अन्य कृषि भूमि की खरीद में निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त धारा 54एफ में आवासीय घर संपत्ति के अतिरिक्त किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के स्थानांतरण से किसी विशेष व्यक्ति से प्राप्त किये जाने वाले पूर्ण दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के स्थानांतरण छूट का प्रावधान है यदि संपूर्ण निवल बिक्री प्रतिफल को किसी परिसंपत्ति के स्थानांतरण की तिथि के एक वर्ष पहले या दो वर्षों के बाद या ऐसे स्थानांतरण की तिथि के बाद तीन वर्षों के अंदर एक आवासीय घर के निर्माण में किसी आवासीय घर की खरीद में निवेश किया गया है। जहां निवल बिक्री प्रतिफल का भाग निवेशित है, इसमें आनुपातिक रूप से छूट दी जाएगी।*

4.3.2.2 प्र. सीआईटी तिरुवनन्तपुरम प्रभार केरल, में, नि.अ. ने ₹ 1.19 करोड़ की कुल आय और ₹ 0.12 लाख की कृषि आय निश्चित करते हुए जून 2014 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2012-13 के लिए एक व्यक्ति **संजीत सदा सिवन** का निर्धारण पूरा किया। कृषि भूमि के स्थानांतरण से प्राप्त ₹ 1.12 करोड़ के दीर्घावधि लाभ सहित कुल आय का निर्धारण हुआ। ₹ 1.12 करोड़ के दीर्घावधि लाभ की गणना में नई कृषि भूमि की खरीद में निवेश के प्रति ₹ 3.59 करोड़ की राशि की धारा 54बी के अंतर्गत छूट और आवासीय घर की खरीद के लिए ₹ 61.40 लाख की राशि की धारा 54एफ के अंतर्गत छूट अनुमत की गई। धारा 54बी के अंतर्गत छूट की राशि की गणना करते हुए, नई कृषि भूमि की खरीद राशि ₹ 1.56 करोड़ की सुधार लागत को भी ध्यान में रखा गया था, जो कि धारा 54बी के अंतर्गत अनुमत योग्य नहीं थी। इसके अंतर्गत धारा 54बी के अंतर्गत ₹ 69.68 लाख की अधिक छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, धारा 54एफ के अंतर्गत छूट का दावा करने के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त (3.85 एआरई) आवासीय घर और भूमि संबंध खरीद के संबंध में दस्तावेजों के सत्यापन से ज्ञात हुआ कि



उपरोक्त भूमि पर भवन को निर्धारिती द्वारा खरीद की तिथि से पहले ही हटा दिया गया था। जैसा कि निर्धारिती ने आवासीय घर पर पूंजीगत लाभ निवेश नहीं किया, धारा 54एफ के अंतर्गत छूट अनुमत करना अनियमित था। धारा 54बी और 54एफ के अंतर्गत अस्वीकार्य छूट ब्याज सहित ₹ 34.29 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 1.31 करोड़ आंकी गई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 263 के अंतर्गत कार्रवाई की (मार्च 2017)।

#### 4.3.3 ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों/एओपीज़ को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं:

धारा 80(पी)(1) में प्रावधान है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के रूप में एक निर्धारिती के मामले में, निर्धारिती की कुल कर योग्य आय की गणना करते समय, उप-धारा(2) के अंतर्गत निर्दिष्ट आय के संबंध में एक छूट अनुमत की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी के साथ अपने निवेशों से कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी द्वारा प्राप्त ब्याज या अधिशेष की कटौती धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत अनुमत है। इस कटौती को कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी के अतिरिक्त किसी बैंक में निवेश से प्राप्त ब्याज तक बढ़ाया नहीं जा सकता।

4.3.3.1 प्र.सीआईटी-V अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में नि.अ. ने क्रमशः ₹ 42.81 करोड़ और ₹ 41.31 करोड़ धारा 80(पी) के अंतर्गत कटौती दर्शाने के बाद ₹ 2.94 लाख और शून्य की आय पर दिसंबर 2012 और अक्टूबर 2014 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2010-11 और 2012-13 के लिए, गुजरात स्टेट कॉ.ओप. एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लि. एक कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती के पास नि.व. 2010-11 और 2012-13 के लिए ₹ 10.39 करोड़ और ₹ 10.51 करोड़ की कर योग्य प्राप्तियां थी जिन्हें क्रमशः ₹ 5.56 करोड़ और ₹ 6.11 करोड़ के संबंधित व्यय के बाद अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.75 करोड़ के कम कर उदग्रहण सहित औसत ₹ 9.20 करोड़ अर्थात नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 4.80 करोड़ और नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 4.40 करोड़ की अधिक छूट अनुमत की गई। आईटीडी ने क्रमशः नवंबर 2016 और मार्च 2017 में धारा 147 और 263 के अंतर्गत दोनों नि.व. के लिए गलती में सुधार किया।



आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईसी में आरंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होकर और चौहदवीं अनुसूची में निर्दिष्ट निर्माण करने के लिए या किसी सामान या चीज के उत्पादन प्रारंभ करने वाले किसी औद्योगिक उपक्रम या उद्यम से लाभ और इसके बाद फायदे का पच्चीस प्रतिशत या इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य में इस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी प्रचालन को शुरू किया जाता है पांच निर्धारण वर्षों के लिए लाभ और अभिलाभ की एक सौ प्रतिशत की छूट का प्रावधान है।

4.3.3.2 प्र. सीआईटी-देहरादून प्रभार, उत्तराखण्ड में नि.अ. ने कटौती के दावा के पांचवें वर्ष नि.व. 2012-13 को ध्यान में रखते हुए, धारा 80आईसी के अंतर्गत 100 प्रतिशत पर ₹ 1.31 करोड़ की छूट अनुमत करने के बाद ₹ 0.69 लाख की आय पर मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2012-13 के लिए **मै. केबीजी इंडस्ट्रीज** फर्म का निर्धारण पूरा किया। फार्म सं. 10 सीसीबी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 12 जून 2006 इस प्रचालन की प्रारंभ होने की तिथि थी जो यह दर्शाती है कि आरंभिक वर्ष 2007-08 से आरंभ होकर नि.व. 2012-13 प्रचालन के प्रारंभ से छंटवा वर्ष था। परिणामस्वरूप, फर्म आईटीडी द्वारा अनुमत लाभ के सौ प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत तक कटौती के लिए योग्य थी। कटौती की अधिक छूट ₹ 41.42 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 98.57 लाख की आय का कम निर्धारण किया गया था। प्र. सीआईटी-देहरादून ने नये निर्धारण आदेश पास होने के निर्देश के साथ धारा 263 (मार्च 2017) के अंतर्गत आदेश पास कर धारा 143/3 के अंतर्गत निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद की प्रगति प्रतिक्षित है (सितंबर 2017)।

#### 4.3.4 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 37 में प्रावधान है कि निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति के न होने पर, किसी व्यय को कारोबार या व्यवसाय के उद्देश्यों हेतु पूर्णतः खर्च किया हो या अलग से रखा गया हो, वह शीर्ष व्यापार या कारोबार के लाभ और फायदे के अंतर्गत प्रभार योग्य आय की गणना में अनुमत होगा। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम के अंतर्गत, प्रोद्भूत या ज्ञात देयता के लिए लेखाओं में दिये गये प्रावधान स्वीकार्य कटौती हैं, जबकि अन्य प्रावधान कटौती के लिए योग्य नहीं हैं।

4.3.4.1 प्र. सीआईटी-1 कोल्हापुर प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 14.65 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2012-13 के लिए **मै. संगली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉ-ओपरेटिव बैंक लि.**, व्यक्तियों के समूह (कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी) का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती बैंक ने दावा किया और संबंधित प्राथमिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत कटौती के लिए अनुमति योग्य नहीं थे, को सुदृढ़ बनाने और विकास करने के

लिए ₹ 3.47 करोड़ और ₹ 7.25 करोड़ की राशि को लाभ और हानि में डेबिट करने के प्रावधानों के प्रति कटौती करने की अनुमति दी गई थी। चूक के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 4.50 करोड़ कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 10.72 करोड़ तक आय का कम निर्धारण किया गया।

*आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत गलती में सुधार लिया (अगस्त 2016)।*

**4.3.4.2 प्र. सीआईटी-12 कोलकाता, प्रभार पश्चिम बंगाल में.** नि.अ. ने ₹ 2.01 करोड़ की आय पर जनवरी 2016 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2013-14 के लिए **मै. कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनी फर्म** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारण पूरा करते समय नि.अ. ने निर्धारिती द्वारा दावा किये गये ₹ 83.20 लाख की कटौती अनुमत की। निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबंधित उक्त राशि को नि.अ. द्वारा निर्धारण में धारा 40(क)(i) के अंतर्गत वापस जोड़ दिया गया था, परंतु सीआईटी (अपील) द्वारा इस वृद्धि को हटा दिया गया था और इसके प्रभाव को दिसंबर 2014 में धारा 251/143(3) के अंतर्गत पास किये गये आदेश द्वारा पहले ही दे दिया गया था। इसलिए ₹ 83.20 लाख की कटौती ठीक नहीं थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 25.71 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 83.20 लाख तक की आय का कम निर्धारण किया गया था। *आईटीडी से उत्तर प्रतिक्षित था (अक्टूबर 2017)।*

#### **4.3.5 मूल्यहास/व्यापार घाटे/पूँजीगत हानि में अनियमितताएं**

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं:

*आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72 के अंतर्गत, जहां 'व्यापार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत गणना के निवल परिणाम निर्धारिती का नुकसान है और ऐसी हानि को प्रासंगिक वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता, ऐसी अधिक न की गई समंजन हानि को आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों में अग्रेषित किया जाएगा, इन वर्षों के व्यापार या व्यवसाय के लाभ या/अभिलाभ के प्रति समंजित किया जाएगा।*

**4.3.5.1 प्र. सीआईटी- त्रिशूर प्रभार, केरल में,** नि.अ. ने ₹ 10.13 करोड़ की आय पर फरवरी 2015 में नि.व. 2012 के लिए **द कोडनगैलुर टाउन कॉ-ओपरेटिव बैंक लि. सं. 102** ने बैंकिंग व्यापार में कार्य कर रही कॉ-ओपरेटिव सोसाईटी का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। यह समंजन नि.व. 2007-08, 2008-09 और 2009-10 से संबंधित अग्रणीत दावे के प्रति समंजित किया गया था और इसके बाद नि.व. 2009-10 से संबंधित ₹ 12.93 करोड़ की शेष हानि का अग्रणीत अनुमत किया गया था। नि.अ. ने निर्धारिती द्वारा की गई गणना

₹ 3.99 करोड़ की हानि के स्थान पर शून्य के रूप में वापस की गई आय के स्वीकरण तक आय की गणना आरंभ की गई थी। इस प्रकार, ₹ 6.14 करोड़ के सही आंकड़ों के स्थान पर निर्धारण आदेश में ₹ 10.13 करोड़ के गलत आंकड़ें कुल आय में प्रस्तुत किए गये थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने क्रमशः दिसंबर 2010, दिसंबर 2011, मार्च 2013 और फरवरी 2014 में पूरे हुए इन नि.व. के लिए निर्धारण आदेशों के अनुसार नि.व. 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए कोई हानि अग्रणीत नहीं की थी। नि.व. 2007-08 से संबंधित निर्धारित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था, अतः नि.व. 2007-08 से संबंधित ₹ 2.90 करोड़ की अग्रणीत हानि की स्वीकार्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। नि.व. 2008-09 से 2011-12 के लिए शून्य और अग्रणीत हानि की गलत स्वीकृति के रूप में वापस की गई आय स्वीकृत करने में शामिल कर प्रभाव ₹ 5.18 करोड़ तक आंकी गई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (फरवरी 2017)।*

*आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 139(3) के अनुसार, यदि निर्धारिती धारा 139(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट रिटर्न की फाइलिंग की निर्धारित तिथि के समाप्त होने से पूर्व हानि की रिटर्न फाइल नहीं करता है निर्धारिती बाद के वर्षों में हुई अग्रणीत हानि के लिए हकदार नहीं होगा।*

**4.3.5.2 सीआईटी-भागलपुर प्रभार, बिहार में, नि.व. 2012-13 के लिए द खगरिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉ-ओपरेटिव बैंक लि.** एक कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी का निर्धारण ₹ 0.72 लाख के अनावशेषित मूल्यहास सहित ₹ 5.47 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए फरवरी 2015 में संवीक्षा के बाद पूरा किया। नि.व. 2012-13 के लिए आय की रिटर्न को फाइल करने की तिथि अर्थात् 30 सितंबर 2012 की बजाय 16 फरवरी 2013 को फाइल किया गया था। इस प्रकार, निर्धारिती की आय को शून्य पर निर्धारित किया जाना चाहिए और ₹ 5.47 करोड़ की व्यापार हानि अग्रणीत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यद्यपि, संवीक्षा निर्धारण आय शून्य पर निर्धारित की गई थी और ₹ 5.47 करोड़ की हानि अग्रणीत की जानी अनुमति की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ के परिणामी संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 5.47 करोड़ की व्यापार हानि के अग्रणीत करने की गलत अनुमति दी गई। *आईटीडी ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि निर्धारिती 15 सितंबर 2012 को नि.व. 2012-13 के लिए ऑनलाईन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पहले ही फाइल कर चुका है जो कि कानून द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के अंदर*

थी/ आईटीडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 139(3) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि यदि निर्धारिती को व्यापार हानि को अग्रणीत करना पड़ता है, तब आय की रिटर्न अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि के अंदर फाईल किया जाना अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम की धारा 80 के अनुसार, यदि धारा 139(1) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार रिटर्न फाईल नहीं की गई है, धारा 72, 73, 74 और 74(ए) के प्रावधानों के अंतर्गत हानि का अग्रणीत किया जाना अनुमत नहीं किया जाएगा।

#### 4.4 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय

4.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय शामिल होंगी। हमने अवलोकन किया कि निर्धारण अधिकारी ने कर के अंतर्गत ऑफर की जाने वाली अपेक्षित कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में भी चूकें थीं, जिसके कारण वे कर से छूट गई। तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण से आय छूट गई।

तालिका 4.3: चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय के अंतर्गत वृत्तियों की उप श्रेणियां		(₹ करोड़ में)	
उप श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. पूंजीगत लाभों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना	03	2.14	गुजरात, हरियाणा और राजस्थान
ख. आय की गलत संगणना	05	13.58	गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
ग. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान लागू करने में चूकें	03	2.43	बिहार और झारखंड
घ. संपत्ति कर का अनुदग्रहण /कम उदग्रहण	06	0.46	कर्नाटक और पश्चिम बंगाल
<b>कुल</b>	<b>17</b>	<b>18.61</b>	

#### 4.4.2 पूंजीगत लाभों का गलत वर्गीकरण और संगणना

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं:

अधिनियम की धारा 10(37) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कृषि भूमि के स्थानांतरण से प्राप्त हुए 'पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रभार योग्य आय निर्धारिती, किसी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में होने के मामले में कर से छूट प्राप्त होगी, यदि कृषि भूमि स्थानांतरण की तिथि से तुरंत पहले के दो वर्षों की अवधि के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया गया है।

**4.4.2.1** प्र. सीआईटी-सेंट्रल, बड़ौदा प्रभार, गुजरात में, नि.व. 2011-12 के लिए एक व्यक्ति **भारत डी-पटेल** का निर्धारण फरवरी 2014 में ₹ 4.01 लाख की रिटर्न आय पर धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया था। निर्धारिती ने भूमि की बिक्री के लाभ के संबंध में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 10(37) के अंतर्गत ₹ 3.73 करोड़ की छूट का दावा किया। नवंबर 2009 में निर्धारिती द्वारा भूमि खरीदी गई थी और फरवरी 2011 में बेची गई थी, इसलिए छूट के लिए योग्यता शर्त कि स्थानांतरण की तिथि से तुरंत दो वर्ष पहले के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए निर्धारिती द्वारा भूमि का उपयोग संतोषजनक नहीं था। इस प्रकार, दावा की गई ऐसी छूट अनियमित थी और इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 1.55 करोड़ के कर के कम उदग्रहण के साथ ₹ 3.73 करोड़ लघु अवधि पूंजीगत लाभ का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 263 (दिसंबर 2016) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत गलती में सुधार किया।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54बी में प्रावधान है कि जहां कृषि भूमि के स्थानांतरण से पूंजीगत लाभ प्राप्त होते हैं, यदि निर्धारिती ऐसी भूमि के स्थानांतरण की तिथि के बाद से दो वर्षों की अवधि के अंदर किसी अन्य कृषि भूमि की खरीद करता है, तो इस प्रकार से प्राप्त पूंजीगत लाभ की राशि विशेष शर्तों के अंतर्गत कर के लिए प्रभारित नहीं होनी होगी।

**4.4.2.2** सीआईटी-II जयपुर प्रभार, राजस्थान में, मार्च 2015 में ₹ 88.12 लाख की रिटर्न आय पर नि.व. 2012-13 के लिए **राहुल कपूर** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती के पास एक कृषि भूमि थी, जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर 2005 में आवासीय-उद्देश्य में बदल दी गई थी। उक्त भूमि मई 2011 में ₹ 1.53 करोड़ के बिक्री मूल्य पर मै. मंगलम बिल्ड डेवलेपर्स प्रा. लि. को बेची गई थी। निर्धारिती ने दावा किया और ₹ 1.41 करोड़ अन्य कृषि भूमि की खरीद के लिए धारा 54 बी के अंतर्गत ₹ 1.40 करोड़ की छूट अनुमत की। चूंकि बिक्री हुई भूमि कृषि भूमि से

आवासीय उद्देश्य भूमि के रूप से पहले ही बदल दी गई थी, अनुमत की गई छूट अनियमित थी और पूंजीगत लाभ पर कर प्रभारित किया जाना चाहिए था। चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 41.06 लाख के कर सहित राशि पर पूंजीगत लाभ की कम गणना की गई। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2017) और धारा 143(2) के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की।

#### 4.4.3 आय की गलत गणना

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं:

अधिनियम में प्रावधान है कि जैसा भी मामला हो, एओ का निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना और कर या प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करना अपेक्षित होता है।

4.4.3.1 प्र. सीआईटी 3 पूणे प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने अग्रणीत हानि को समंजन की अनुमति के बाद 'शून्य' पर आय निर्धारित करते हुए जनवरी 2014 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2011-12 के लिए व्यक्ति के समूह (कॉ-ओपरेटिव सोसाईटी) श्रीराम जवाहर शेतकरी सहकारी सकर उद्योग का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने उचित लाभकारी मूल्य (एफआरपी) जो ₹ 9.70 करोड़ की अधिक भुगतान तक अपरिहार्य हो गया था, के प्रति नि.व. 2009-10 से 2010-11 के दौरान गन्ने की खरीद पर निर्धारिती ने भुगतान किये थे जिसे नीचे तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: गन्ने के अधिक भुगतान के विवरण						
नि.व.	गन्ने का भार (मिट्टिक टन में)	गन्ने की प्रति मिट्टिक टन दर	एफआरपी प्रति मिट्टिक टन	प्रति मिट्टिक टन अधिक गन्ने का मूल्य	अधिक दी की गई राशि (₹ करोड़ में)	
2009-10	52,027.900	₹ 2,251	₹ 1,558.70	₹ 692.30	3.60	
2009-10	17,766.697	₹ 2,151	₹ 1,558.70	₹ 592.30	1.05	
2010-11	2,17,427.797	₹ 1,900	₹ 1,668.00	₹ 232.00	5.05	
<b>कुल</b>					<b>9.70</b>	

₹ 9.70 करोड़ के गन्ने मूल्य के अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.35 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित इस सीमा तक आय का कम निर्धारण किया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 263 (दिसंबर 2016) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(22)(ई) के अंतर्गत, कंपनी द्वारा एक ऋण जिसमें गलत जन हित शामिल नहीं हैं, कंपनी की वोटिंग पावर का 10 प्रतिशत से अधिक लाभकारी रूप से अंशधारक के पास है या किसी सहायक कंपनी/जिसमें वह मूलतः रुचि रखता है कंपनी द्वारा अदा किये गये अधिशेष माने जाएंगे, उस सीमा तक कि कंपनी संचित लाभ अपने पास रखे। ऐसे अधिशेष अधिनियम की धारा 115-ओ के अंतर्गत अधिशेष वितरण कर के अंतर्गत नहीं है और कर योग्य आय है।

**4.4.3.2** प्र. सीआईटी सेंट्रल-2 कोलकाता प्रभार पश्चिम बंगाल में नि.व. 2012-13 के लिए एक व्यक्ति **कनिका मैती** का ₹ 6 करोड़ की आय पर मार्च 2014 में संवीक्षा के बाद निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने विगत वर्ष 2011-12 के दौरान, एक कंपनी मै. आई-कोर ई-सर्विसेज लि. से ₹ 29.95 करोड़ का असुरक्षित ऋण प्राप्त किया। यह पाया गया कि उक्त कंपनी के 27.36 प्रतिशत शेयर निर्धारिती के पास थे। कंपनी एक नियंत्रित कंपनी थी और वर्ष के आरंभ में ₹ 2.97 करोड़ के संचित लाभ उनके पास था। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कंपनी एक रिटेलर थी और उधार के कारोबार में नहीं थी। इस प्रकार, उक्त से निर्धारिती द्वारा स्वीकृत ऋण वर्ष के आरंभ में कंपनी के संचित लाभ की सीमा तक अधिशेष रूप में माना जाएगा। इसलिए, ₹ 2.97 करोड़ की राशि पर निर्धारिती के हाथों में अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में कर लगाया जाना अपेक्षित था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2.97 करोड़ तक आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 144/263/154/143/(3) के अंतर्गत गलती में सुधार किया (जुलाई 2016)।*

#### 4.4.4 टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान के लागू करने में चूकें

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं।

धारा 40(ए) (आईए) में प्रावधान है कि ऐसे भुगतान जहां टीडीएस की कटौती नहीं की गई या कटौती के बाद निर्धारित तिथि पर या उससे पूर्व जमा नहीं कराया गया है उसके प्रति व्यय की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**4.4.4.1** प्र. सीआईटी-2 पटना प्रभार, बिहार में, नि.व. 2012-13 हेतु एक फर्म **मै. नंदलाल एंड कंपनी**, पटना का संवीक्षा निर्धारण ₹ 1.02 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए फरवरी 2015 में पूरा किया। 'ठेका निर्माण कार्य' के प्रति ₹ 2.69 करोड़ का भुगतान अनुमत किया गया था जिस पर ₹ 4.20 लाख की कटौती की गई थी परंतु उक्त को प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय की रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि के अंदर जमा नहीं किया गया था। चूंकि कर को रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि पर या पहले जमा नहीं



कराया गया था, ₹ 2.69 करोड़ का व्यय अस्वीकृत किया जाना और कर योग्य आय में वापस जोड़ा जाना अपेक्षित था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.19 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2.69 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी का उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2017)।*

**4.4.4.2** सीआईटी (सेंट्रल), पटना प्रभार, झारखंड में, **सचिदानंद प्रसाद** का निर्धारण ₹ 11.84 लाख पर नि.व. 2012-13 के लिए मार्च 2014 में संवीक्षा के बाद पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 15 ट्रांसपोर्टों को किये गये भुगतान के संबंध में ₹ 2.22 करोड़ अनुमत किये, प्रत्येक व्यक्तिगत भुगतान ₹ 0.75 लाख से अधिक था, जिस पर स्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की गई थी। चूंकि कर स्रोत पर नहीं काटा गया था, ₹ 2.22 करोड़ की राशि को अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था और कर योग्य आय में जोड़ा जाना था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया और ब्याज सहित ₹ 84.90 लाख का कम उदग्रहण किया गया। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत गलती में सुधार किया (सितंबर 2016)।*

#### **4.4.5 संपत्ति कर का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण**

₹ 0.46 करोड़ के कर प्रभाव सहित संपत्ति कर के छः मामले अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 के दौरान मंत्रालय को सूचित किये गये थे। हमने पाया कि नि.अ. ने कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में इन मामलों में सीबीडीटी के दिशा निर्देशों<sup>85</sup> का अनुपालन नहीं किया।

ऐसे दो निर्देशी मामले हमने नीचे दिये हैं:

*संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 14 के अनुसार, मूल्यांकन तिथि पर निर्धारण योग्य निवल संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को अधिनियम में निर्दिष्ट निर्धारित तिथि पर या पहले अपनी निवल संपत्ति की रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी।*

**4.4.5.1** डीसीआईटी सेंट्रल सर्कल 2(1), बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में, नि.व 2009-10 से 2013-14 के लिए **के. नागेश रेड्डी** का निर्धारण मार्च 2015 में धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में जात हुआ कि निर्धारिती के पास नि.व. क्रमशः 2009-10 से 2013-14 के लिए ₹ 2.13 करोड़, ₹ 1.61 करोड़, ₹ 3.36 करोड़, ₹ 4.57 करोड़ और ₹ 4.03 करोड़ का निवल कर योग्य संपत्ति था। यद्यपि,

85 नवंबर 1973, अप्रैल 1979 और सितंबर 1984 में नि.अ. को सीबीडीटी के निर्देश जारी किये।

न तो निर्धारिती ने कोई रिटर्न फाइल की, न ही आईटीडी ने कोई संपत्ति कर निर्धारण प्रक्रिया आरंभ की। चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 17बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 24.80 लाख के परिणामी कर प्रभाव सहित निर्धारण से ₹ 15.70 लाख की राशि छूट गई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और संपत्ति कर अधिनियम का धारा 17(1) के साथ पठित धारा 16(5) के अंतर्गत गलती में सुधार किया गया (सितंबर 2016)।*

*संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 3 में प्रावधान है कि संबंधित मूल्यांकन तिथि पर निवल संपत्ति के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए संपत्ति कर प्रभारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संपत्ति कर अधिनियम की धारा 2(ईए) के अनुसार, निर्धारण वर्ष के संबंध में परिसंपत्ति का अर्थ कोई वाहन, मोटर कार, ज्वेलरी, याच, शहरी भूमि और 50 हजार से अधिक नकद राशि होता है।*

**4.4.5.2 प्र.** सीआईटी सेंट्रल-5, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, नि.व. 2013-14 हेतु **सरीफ हुसैन** का आयकर निर्धारण ₹ 5.13 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की तुलना पत्र से पाया कि निर्धारिती के पास ₹ 10.04 करोड़ की मूल्य की परिसंपत्ति (भवन, भूमि और नकद) थी, जिस पर संपत्ति कर अदा करने के लिए संपत्ति अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। परंतु न तो निर्धारिती ने संपत्ति की कोई रिटर्न फाइल की न ही उक्त हेतु आईटीडी ने कोई कार्रवाई की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.74 लाख के संपत्ति कर के अनुद्ग्रहण सहित ₹ 10.04 करोड़ की संपत्ति का गैर-निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत नोटिस जारी कर उपचारात्मक कार्रवाई की (अप्रैल 2017)।*

#### **4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार**

**4.5.1** हमने आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में ₹ 21.26 करोड़ के कर/ब्याज के अधिक प्रभार सहित 16 मामलों में आय का अधिक निर्धारण पाया। ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दर्शाये हैं।

**4.5.1.1** सीआईटी (अंत. कराधान)-2 प्रभार, दिल्ली में, निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 हेतु **करमजीत एस. जायसवाल**, उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्री लाडली प्रसाद जायसवाल का निर्धारण क्रमशः ₹ 13.77 करोड़ और ₹ 2.06 करोड़ की आय पर नवंबर 2014 में पूरा किया<sup>86</sup>। लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों निर्धारण वर्षों में, कर की गणना गलत कर और अधिक प्रभार लगाकर की गई थी। इसके

<sup>86</sup> धारा 147/143(3) के अंतर्गत

परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.28 करोड़ कर का अधिक प्रभार किया गया।  
*आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (सितंबर 2016)।*

4.5.1.2 प्र. सीआईटी (सेंट्रल) भोपाल प्रभार, मध्य प्रदेश में, नि.व. 2014-15 के लिए **नितिन अग्रवाल** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 8.21 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि यद्यपि निर्धारिती ने ₹ 1.61 करोड़ का स्वयं निर्धारित कर (एसएटी) अदा किया, नि.अ. ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय केवल ₹ 10 लाख का एसएटी का क्रेडिट अनुमत किया। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.80 करोड़ की अधिक कर मांग की गई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (जून 2016)।*